बनाम

यायालय

ख्या

या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	वि
	19/07/24	पत्रावली पेश है। वकील पक्षकारान अनुपस्थित न्यायालय हैरान बार-बार आवाज लगवाई जाने के बावजूद वकील पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए। अतः प्रकरण अदम पैरवी व अदम पैरवी में अन्तर्गत आदेश 09 नियम 03 के तहत खारिज किया जाता है। TI का अब कोई औचित्य प्रतीत होता है। चूंकि वादी का दावा पत्र O9 R3 जा० दी० में खारिज किया जाकर फैसल हुआ है तथा नम्बर से कम कोलाज दाखिल दफ्तर हो। फैसला खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक